राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003

धाराओं का क्रम

धाराएं

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. परिभाषाएं ।

3. संसद् के समक्ष रखे जाने वाले राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण ।

4. राजवित्तीय प्रबंध सिद्धांत ।

5. रिजर्व बैंक से उधार ।

6. राजवित्तीय पारदर्शिता के लिए उपाय ।

7. अनुपालन करवाने के लिए उपाय ।

7क. पुनर्विलोकन रिपोर्टों का रखा जाना ।

8. नियम बनाने की शक्ति ।

9. संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने वाले नियम ।

10. सद्भावपूर्वक किए गए कार्य का संरक्षण ।

11. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

12. वर्जित न की गई अन्य विधियों का लागू होना ।

13. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003

(2003 का अधिनियम संख्यांक 39)

[26 अगस्त, 2003]

राजवित्तीय प्रबंध में अंतः विकासशील साम्या [1]* और मुद्रा नीति के प्रभावी संचालन में राजवित्तीय बाधाओं को दूर करके औरकेंद्रीय सरकार के उधारों, ऋणों और घाटों पर सीमाओं द्वारा राजवित्तीयधारणीयता से संगत विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन, केंद्रीय सरकार की राजवित्तीय संक्रियाओं में और पारदर्शिता तथा मध्यम कालिक रूपरेखा में राजवित्तीय नीति का संचालन करके दीर्घकालीन समष्टि आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार के उत्तरदायित्व का तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2003 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "राजवित्तीय घाटा" से किसी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत की संचित निधि से, ऋण के प्रतिसंदाय को अपवर्जित करते हुए, निधि में कुल प्राप्तियों से (ऋण संबंधी प्राप्तियों को अपवर्जित करते हुए) कुल संवितरण का आधिक्य अभिप्रेत है;

[2][(कक) किसी भी तारीख को "केंद्रीय सरकार का ऋण" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं—

(i) भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर केंद्रीय सरकार के कुल बकाया दायित्व, जिसके अंतर्गत वर्तमान विनियम दरो पर मूल्यांकित बाह्य ऋण भी है

(ii)भारत के लोक लेखा में कुल बकाया दायित्व और

(iii) किसी निगमित निकाय या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा उसके द्वारा नियंत्रित अन्य अस्तित्व के ऐसे वित्तीय दायित्व, जिनका सरकार द्वारा प्रतिसंदाय किया जाना है या जिनका वार्षिक वित्तीय विवरण से वितरण किया जाना है, जिसमें से उस तारीख के अंत में उपलब्ध नकद अतिशेष घटा दिया गया हो;]

(ख) "राजवित्तीय संकेतकों" से केंद्रीय सरकार की राजवित्तीय स्थिति के मूल्यांकन के लिए संख्यात्मक सीमाएं और सकल देशी उत्पाद का अनुपात जैसे उपाय, जो विहित किए जाएं, अभिप्रेत हैं;

[1][(खख) "साधारण सरकार का ऋण" से केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के ऋणों की कुल राशि अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत अंतर-शासकीय दायित्व नहीं हैं;

(खग) "सकल घरेलु उत्पाद" से सकल मूल्य राशि, जिसमें सभी निवासी उत्पादन इकाइयों को जोड़ दिया जाएगा, जमा उत्पादों पर, सहायिकियों को घटाकर, कर का वह भाग, जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादन के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है, जिसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा समय-समय पर यथा प्रकाशित वर्तमान बाजार कीमतों पर संगणित किया जाएगा;]

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 210 द्वारा लोप किया गया ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 210 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(गक) "वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद" से समय-समय पर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा यथा प्रकाशित स्थिर कीमतों पर संगणित सकल घरेलू उत्पाद अभिप्रेत हैं;

(गख) "वास्तविक आउटपुट विद्ध" से वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि अभिप्रेत है;]

(घ) "रिजर्व बैंक" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है;

(ङ) "राजस्व घाटे" से राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच का अंतर अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार की आस्तियों में तत्समान वृद्धि के बिना उस सरकार के दायित्वों में वृद्धि इंगित करता है;

(च) "कुल दायित्व" से भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा के अधीन दायित्व अभिप्रेत हैं ।

3. संसद् के समक्ष रखे जाने वाले राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण—(1) केन्द्रीय सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण और [2][मध्यकालिक व्यय रूपरेखा विवरण के लिए अनुदान मांगों] के साथ निम्नलिखित विवरण संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी, अर्थात् :—

(i) मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण;

(ii) राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण;

(iii) बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण;

[3][(iv) मध्यम कालिक व्यय रूपरेखा विवरण ।]

[1][(1क) उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट विवरणों के साथ अंतर्निहित धारणाओं के विस्तृत विश्लेषण वाला मध्यम कालिक व्यय रूपरेखा विवरण होगा ।

(1ख) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मध्यम कालिक व्यय रूपरेखा विवरण को संसद् के उस सत्र के, जिसमें खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट नीति संबंधी विवरणों को उपधारा (1) के अधीन रखा जाता है, ठीक आगामी सत्र में संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी ।]

(2) मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण में अंतर्निहित धारणाओं के प्रति विनिर्देश सहित विहित राजवित्तीय संकेतकों के लिए एक तीन वर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित होगा ।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति विवरण में निम्नलिखित से संबंधित वहनीयता का निर्धारण सम्मिलित होगा—

[4]* * * * * * *

(ii) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिए बाजार उधार सहित पूंजी प्राप्तियों का प्रयोग ।

(4) राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित होगा,—

(क) कराधान, व्यय, बाजार-उधार और अन्य दायित्वों, उधार देने और विनिधान, प्रशासित माल और सेवाओं के मूल्य निर्धारण, प्रतिभूतियों तथा ऐसे अन्य क्रियाकलापों जैसे हामीदारी और प्रत्याभूतियां, जिनकी संभावी बजटीय विवक्षाएं हैं, के वर्णन से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार की नीतियां;

(ख) राजवित्तीय क्षेत्र में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्रीय सरकार की कार्य-नीति संबंधी प्राथमिकताएं;

(ग) कराधान, सहायकी, व्यय, प्रशासित मूल्य-निर्धारण और उधारों से संबंधित राजवित्तीय उपायों में किसी मुख्य विचलन के लिए मुख्य राजवित्तीय उपाय और मूलाधार;

(घ) एक मूल्यांकन कि केन्द्रीय सरकार की चालू नीतियां धारा 4 में उपवर्णित राजवित्तीय प्रबंध सिद्धांतों और मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति विवरण में उपवर्णित उद्देश्यों के किस प्रकार अनुरूप है ।

(5) बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण में अंतर्निहित धारणाओं के विनिर्देश के साथ अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभावनाओं का निर्धारण अंतर्विष्ट होगा ।

(6) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण में निम्नलिखित के संबंध में निर्धारण अंतर्विष्ट होगा—

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 210 द्वारा अंत:स्थापित ।

[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 147 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 147 द्वारा अंत:स्थापित ।

[4] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 210 द्वारा लोप किया गया ।

(क) सकल देशी उत्पाद में वृद्धि;

(ख) [1]*** सकल राजवित्तीय अतिशेष में यथाउपदर्शित संघ सरकार का राजवित्तीय अतिशेष;

(ग) संदायों के अतिशेष के चालू लेखा अतिशेष में यथाउपदर्शित अर्थव्यवस्था का बाह्य सेक्टर अतिशेष ।

[1][(6क) (क) मध्यम कालिक व्यय रूपरेखा विवरण में अंतर्निहित धारणाओं और अंतर्वलित जोखिम के विनिर्देश वाले विहित व्यय संकेतकों के लिए एक तीन वर्षीय चल लक्ष्य उपवर्णित होगा ।

(ख) विशिष्टतया और खंड (क) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मध्यम कालिक व्यय रूपरेखा विवरण में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित अंतर्विष्ट होगा—

(i) प्रमुख नीति परिवर्तनों की, जिनमें नई सेवा, सेवा के नए साधन, नई स्कीमें और कार्यक्रम अंतर्वलित हैं, व्यय प्रतिबद्धता;

(ii) स्पष्ट समाश्रित दायित्व, जो बहुवर्षीय समय-सीमा के लिए अनुबंधित वार्षिकी संदायों के रूप में हैं;

[2]* * * * * * *]

(7) उपधारा (1) में निर्दिष्ट मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति संबंधी विवरण, [3][राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण, मध्यम कालिक व्यय रूपरेखा विवरण] और बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण ऐसे प्ररूप में होंगे जो विहित किए जाएं ।

[4][**4. राजवित्तीय प्रबंध के सिद्धांत**—(1) केंद्रीय सरकार—

(क) राजवित्तीय घाटे को 31 मार्च, 2021 तक सकल घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत तक समिति करने के लिए समुचित उपाय करेगी;

(ख) का यह सुनिश्चित करने का प्रयाग होगा कि—

(i) साधारण सरकारी ऋण वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के साठ प्रतिशत से अधिक नहीं हो;

(ii) केंद्रीय सरकार का ऋण वित्तीय वर्ष 2014-2025 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद के चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं हो;

(ग) भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर किसी ऋण की बाबत, किसी वित्तीय वर्ष से सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक की अतरिक्त प्रत्याभूतियां (गारंटी) नहीं देगी ;

(घ) यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट वार्षिक राजवित्तीय लक्ष्य नियम लक्ष्यित तारीखों से आगे नहीं जाएं ।

(2) केंद्रीय सरकार वित्त अधिनियम, 2018 के अध्याय 8 के भाग 15 के ऐसे प्रारंभ की तारीख से प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए राजवित्तीय घाटे को कम करने के लिए वार्षिक लक्ष्य विहित करेगी :

परंतु वार्षिक राजवित्तीय घाटे के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में, राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध कार्य, राष्ट्रीय आपदा, कृषि उत्पाद तथा आय को गंभीर रूप से प्रभावित करने वाली फसलों की विफलता, अननुमानित राजवित्तीय विवक्षाओं के साथ अर्थव्यवस्था में अवसंरचनात्मक सुधारों, किसी एक तिमाही में वास्तविक आउटपुट वृद्धि में पूर्ववर्ती चार तिमाहियों की औसत से तीन प्रतिशत की कमी के आधार या आधारों के कारण इस धारा के प्रयोजनों के लिए परिवर्तन को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन राजवित्तीय घाटे के लक्ष्य से कोई विचलन एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के आधे प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(4) केंद्रीय सरकार, किसी एक तिमाही में वास्तविक आउटपुट वृद्धि में पूर्ववर्ती चार तिमाहियों की औसत से न्यूनतम तीन प्रतिशत अधिक होने की दशा में, किसी एक वर्ष में राजवित्तीय घाटे में एक वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम एक चौथाई प्रतिशत कमी लाएगी ।

(5) जहां राजवित्तीय घाटे में उपधारा (2) के परंतुक के अधीव विहित लक्ष्यों में परिवर्तन अनुज्ञात किया जाता है, या उपधारा (4) के अधीन विचलन की पहल की जाती है, वहां उसके कारणों को स्पष्ट करते हुए तथा इस धारा के अधीन वार्षिक लक्ष्यों को पुन:प्राप्त करने की योजना को अधिकथित करते हुए एक विवरण यथासंभवशीघ्र संसद् के दोनों, सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।]

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 210 द्वारा "राजस्व अतिशेष और" शब्दों का लोप किया गया ।

[2] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 212 द्वारा लोप किया गया ।

[3] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 147 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 213 द्वारा प्रतिस्थापित ।

5. रिजर्व बैंक से उधार—(1) केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक से, ऐसे करारों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा रिजर्व बैंक के साथ किए जाएं, किसी वित्तीय वर्ष के दौरान नकद प्राप्तियों से अधिक नकद संवितरण के अस्थायी आधिक्य को पूरा करने के लिए अग्रिम के रूप में उधार ले सकेगी :

परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में नकद प्राप्ति से अधिक नकद संवितरण के अस्थायी आधिक्य को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अग्रिमों का प्रतिसंदाय भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 17 की उपधारा (5) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

[1][(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक धारा 4 की उपधारा (2) के परंतुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों के कारण केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों के आरंभिक निर्गम का अभिदाय कर सकेगा ।]

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक, द्वितीयक बाजार में केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय कर सकेगा [2][या रिजर्व बैंक और केंद्रीय सरकारके बीच पारस्परिक रूप से करार पाई गई केंद्रीय सरकार की अन्य प्रतिभूतियों के साथ उसके द्वारा धारित केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों को संपरिवर्तित कर सकेगा] ।

6. राजवित्तीय पारदर्शिता के लिए उपाय—(1) केन्द्रीय सरकार, लोकहित में अपनी राजवित्तीय संक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता को सुनिश्चित करने तथा वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग को तैयार करने में गोपनीयता को यथासाध्य कम करने के लिए युक्तियुक्त उपाय करेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केन्द्रीय सरकार, वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांग प्रस्तुत करते समय, ऐसा प्रकटन ऐसे प्ररूप में करेगी, जो विहित किया जाए ।

7. अनुपालन करवाने के लिए उपाय—(1) वित्त मंत्रालय का भारसाधक मंत्री [3][अर्धवार्षिक आधार] पर बजट से संबंधित प्राप्तियों और व्यय के रुखों का पुनर्विलोकन करेगा और ऐसे पुनर्विलोकन के परिणाम को संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखेगा ।

[4][(1 क) केंद्रीय सरकार अपने लेखाओं का एक मासिक विवरण तैयार करेगी ।]

(2) जब कभी, किसी वित्तीय वर्ष में किसी अवधि के दौरान [5][विहित स्तरों] से अधिक या तो राजस्व में गिरावट आती है या अधिक व्यय होता है तब केन्द्रीय सरकार राजस्व में वृद्धि करने के लिए या व्यय में कमी करने के लिए (जिसके अंतर्गत किसी अधिनियम के अधीन भारत की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत राशियों में कटौती करना भी है जिससे कि ऐसी धनराशि के विनियोग के लिए उपबंध किया जा सके) समुचित उपाय करेगी :

परंतु इस उपधारा में की कोई बात संविधान के अनुच्छेद 112 के खंड (3) के अधीन भारत की संचित निधि पर भारित व्यय या किसी ऐसे अन्य व्यय को, जो किसी करार या संविदा के अधीन उपगत किए जाने के लिए अपेक्षित है या ऐसे अन्य व्यय को, जिसे स्थगित या कम नहीं किया जा सकता, लागू नहीं होगी ।

(3) (क) इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई भी विचलन संसद् के अनुमोदन के बिना अनुज्ञेय नहीं होगा ।

(ख) जहां अकल्पित परिस्थितियों के कारण, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन हुआ है वहां वित्त मंत्रालय का भारसाधक मंत्री संसद् के दोनों सदनों में निम्नलिखित के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए कथन करेगा—

(i) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार पर आने वाली बाध्यताओं को पूरा करने में कोई विचलन;

(ii) क्या ऐसा विचलन तात्त्विक है और वह वास्तविक या संभावित बजट परिणामों से संबंधित है; और

(iii) ऐसे उपचारी उपाय जिन्हें करने का केन्द्रीय सरकार का प्रस्ताव है ।

[6][**7क. पुनर्विलोकन रिपोर्टों का रखा जाना**—केंद्रीय सरकार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन का, ऐसे आवधिक रूप से, जो अपेक्षित हो, पुनर्विलोकन करने के लिए, न्यस्त कर सकेगी और ऐसे पुनर्विलोकनों को संसद् के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा ।]

---

[1] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 214 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[2] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 214 द्वारा अंत:स्थापित ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 215 द्वारा "प्रत्येक तिमाही" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 215 द्वारा अंत:स्थापित ।
[5] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 215 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[6] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 149 द्वारा अंत:स्थापित ।

8. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों की बाबत उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने वाले वार्षिक लक्ष्य;

(ख) धारा 3 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए विहित किए जाने वाले राजवित्तीय संकेतक;

[1][(खक) धारा 3 की उपधारा (6क) के खंड (क) के अधीन अंतर्निहित धारणाओं और अंतर्वलित जोखिमों के विनिर्देशों सहित व्यय संकेतक;]

(ग) धारा 3 की उपधारा (7) में निर्दिष्ट मध्यम कालिक राजवित्तीय नीति विवरण, [2][राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण, मध्यम कालिक व्यय रूपरेखा विवरण] और बृहत् आर्थिक रूपरेखा विवरण के प्ररूप;

[3]* * * * * * *

(घ) प्रकटन और वह प्ररूप जिसमें धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्रकटन किए जाएंगे;

[4][(घक) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन राजस्व में कमी या व्यय की अधिकता का स्तर ।]

(ङ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए ।

9. संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने वाले नियम—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

10. सद्भावपूर्वक किए गए कार्य का संरक्षण—इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

11. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन—किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई किसी कार्रवाई या उसके किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

12. वर्जित न की गई अन्य विधियों का लागू होना—इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

13. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

———

[1] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 150 द्वारा अंतःस्थापित ।
[2] 2012 के अधिनियम सं० 23 की धारा 150 द्वारा प्रतिस्थापित ।
[3] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 216 द्वारा लोप किया गया ।
[4] 2018 के अधिनियम सं० 13 की धारा 216 द्वारा अंतःस्थापित ।